न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रकरण संख्या : 02/2018

1. सूरजमल पुत्र चतुर्भुज जाति मीना
2. बीरबल पुत्र चतुर्भुज जाति मीना
3. श्रीमति सीता पुत्री रामनाथ जाति मीना
4. श्रीमति चमेली पुत्री रामनाथ जाति मीना निवासीगण बोरदा तहसील मांगरोल जिला बारां

....प्रार्थीगण

♠ बनाम ♠

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां

....अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 144 सी0पी0सी0

पीठासीन अधिकारी : श्री प्रमोद कुमार सिंधव (आरएएस)

वकील प्रार्थीगण : श्री ओम भारद्वाज व श्री लवकुल गौड

दायरा दिनांक: 18.05.2018

निर्णय दिनांक : 27.11.2018

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मांगरोल के निर्णय दिनांक 05.02.2018 की पालना किये जाने हेतु निम्न निवेदन करते है:—

01. प्रार्थीगणो के पूर्वजो के खातेदारी की भूमि वाके ग्राम बोरदा की सिंलिग प्रकरण संख्या 90/1975 आदेश ए0सी0एम0 बारां दिनांक 16.04.1976 की अनुपालना में ग्राम बोरदा की आराजी पुराने खसरा नं0 443 रकबा 5 बीघा 9 बिस्वा, खसरा नं0 376 रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा खसरा नं0 282 रकबा 7 बीघा 11 बिस्वा खसरा नं0 184 रकबा 13 बीघा कुल 28 बीघा 17 बिस्वा भूमि सिंलिग में अधिगृहण कर कब्जा राजली जाकर सिलिंग सिवायचक दर्ज की गई है। अधिगृहण शुदा आराजी वाके ग्राम बोरदा के पुरान खसरा नं0 व बाद सेटलमेंट नवीन खसरा नम्बर निम्नप्रकार है:— सिलिंग में अधिगृहण शुदा वाके ग्राम बोरदा नवीन खसरा नम्बर रकबा बोरदा के पुराने खसरा नम्बर व रकबा

खसरा नं0	रकबा	खसरा नं0	रकबा
184 मि0	13 बीघा	163/749	2.09 है0
282 मि0	7 बीघा 12 बिस्वा	407/748	1.22 है0
443	5 बीघा 9 बिस्वा	618	0.56 है0
376	2 बीघा 17 बिस्वा	338	0.32 है0
योग	28 बीघा 17 बिस्वा		4.19 है0

उक्त सिलिंग सिवायचक भूमि में से राज्य सरकार द्वारा निम्न व्यक्तियों को भूआवंटन किया गया है:–

01. राधेश्याम पुत्र बंशीलाल चमार गैर खातेदार को वाके ग्राम बोरदा के खसरा नं0 163/749 रकबा 0.80 है0 भूमि आवंटित की गई है।

02. स्वर्गीय चतुर्भुज को ग्राम बोरदा के खसरा नं0 407/748 रकबा 0.80 है0 भूमि आवंटित की गई है जो वर्तमान में रामगोपाल, रूपचंद, सोहनलाल पुत्रान चतुर्भुज, रामजानकी बेवा चतुर्भुज, बिमलाबाई, मंजूबाई, प्रेमबाई पुत्रियां चतुर्भुज मीना के नाम दर्ज खाता है।

इस प्रकार अधिगृहण शुदा भूमि 28 बीघा 17 बिस्वा सिलिंग सिवायचक में से मात्र 1.60 है0 भूमि आवंटित की गई है शेष भूमि वर्तमान में सिलिंग सिवायचक दर्ज चली आ रही है। यह कि प्रार्थी क्रम 1 द्वारा न्यायालय ए0सीएम0 कोटा निर्णय दिनांक 31.12.1975 के विरूद्ध न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेंर में निगरानी की गई जिस पर न्यायालय राजस्व मण्डल राज0 अजमेंर के निर्णय दिनांक 01.12.2010 के अनुसरण में प्रार्थीगण क्रम 3 व 4 द्वारा न्यायालय सहायक समाहर्ता कोटा के निर्णय दिनांक 31.12.1975 के विरूद्ध अपील न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बारां के यहा पेश की गई जिस पर न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बारां द्वारा निर्णय दिनांक 05.08.2011 से अधिनस्थ न्यायालय सहायक समाहर्ता एवं प्राधिकारी सिलिंग कोटा का निर्णय दिनांक 31.12.1975 निरस्त कर न्यायालय उपजिला कलक्टर महोदय मांगरोल में प्रकरण प्रतिप्रेषित कर सिलिंग ऐसेसी रामनाथ के विधिक वारिसान की जांच कर विधि संगत निर्णय पारित करने हेतु भिजवाया गया। प्रार्थीगण द्वारा न्यायालय उपजिला कलक्टर बारां के निर्णय दिनांक 16.04.1976 के विरूद्ध न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बारां के यहां अपील प्रस्तुत की गई जिस पर न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बारां द्वारा निर्णय दिनांक 26.12.2008 से न्यायालय उपजिला कलक्टर बारां का निर्णय दिनांक 16.04.1976 निरस्त किया जाकर प्रकरण उपजिला कलक्टर मांगरोल को प्रतिप्रेषित कर साक्ष्य लेकर विधि संगत निर्णय पारित करने हेतु भिजवाया गया। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मांगरोल द्वारा उक्त दोनो प्रकरणो को समायोजन किया जाकर बाद जांच पक्षकारान की विधिवत सुनवाई की जाकर गुणावगुण के आधार पर निर्णय दिनांक 05.02.2018 से प्रार्थीगणो के पास सिलिंग सीमा से कम भूमि होना मानकर सिलिंग कार्यवाही ड्रोप कर प्रार्थीगण के पक्ष में निर्णय पारित किया गया है। उक्त अधिगृहण भूमि सिलिंग अेसेषी जगन्नाथ व चतुर्भुज पिसरान परसा, बिशनी बेवा राम नाथ कोम मीणा निवासी बोरदा के खातेदारी भूमि के से अधिगृहण की गई है जिसे उक्त खातेदारान के प्रार्थीगण विधिक वारिस होने से अपने खाते दर्ज करवाने व कब्जा प्राप्त करने के अधिकारी है। अतः निवेदन है कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मांगरोल के निर्णय दिनांक 05.02.2018 से प्रार्थीगण के पक्ष में निर्णय पारित कर सिलिंग कार्यवाही ड्रोप किये जाने से प्रार्थना पत्र के पेरा नम्बर 2 में अंकित भूमि एवं भूआवंटियों को उक्त भूमि से

बेदखल कर ग्राम बोरदा की सिलिंग अधिगृहित भूमि प्रार्थीगण के खाते दर्ज की जाकर उक्त आराजी पर प्रार्थीगणों को दखल दिया जावें।

इस आशय का प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर करके अप्रार्थी तहसीलदार मांगरोल से प्रार्थना पत्र का जवाब व मौका रिपोर्ट आराजी तलब की गई, तहसीलदार मांगरोल द्वारा जवा पेश करने पर व मौका रिपोर्ट न्यायालय में पेश करने पर शामिल पत्रावली की गई।

प्रार्थीगण के द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ निम्न दस्तावेज पेश किऐ गयें।

01. निर्णय दिनांक 05.02.2018 न्यायालय एस0डी0ओ0 मांगरोल
02. निर्णय न्यायालय सहायक समाहर्ता एवं प्राधिकृत अधिकारी सीलींग
03. निर्णय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बारां दिनांक 16.04.1976
04. निर्णय राजस्व मण्डल अजमेंर दिनांक 01.12.2010
05. निर्णय अति0 जिला कलक्टर महोदय बारां दिनांक 26.12.2008
06. निर्णय अति0 जिला कलक्टर महोदय बारां दिनांक 05.08.2011
07. दखलनामा तहसीलदार मांगरोल दिनांक 11.06.1976
08. रिपोर्ट पटवार मण्डल बोरदा दिनांक 04.12.1984
09. मिलान क्षेत्रफल हाल खसरा नम्बर ग्राम बोरदा
10. जमाबंदी सम्वत 2071–2074
11. जमाबंदी सम्वत 2071–2074 खातेदार राधेश्याम पुत्र बंशीलाल
12. जमाबंदी सम्वत 2071–74 खातेदार रामगोपाल, रूपचंद वगैरह

वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी गयी, सम्पूर्ण प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया।

न्यायालय ए0डी0एम0, बारां के निर्णय दिनांक 26.12.2008 बउनवान सूरजमल बीरवाल बनाम राजस्थान सरकार व निर्णय दिनांक 05.08.2011 बउनवान श्रीमति चमेलीबाई, सीताबाई बनाम राजस्थान सरकार से रिमान्ड होकर दौनो पत्रावलीयां इस न्यायालय को पुनः निर्णय करने हेतु प्राप्त हुई है।

इस न्यायालय द्वारा प्राप्त पत्रावलियों की सुनवाई एक साथ की जाकर दिनांक 05.02.2018 को निर्णय पारित यिका जाकर प्रार्थीगण की सीलींग में अधिग्रहित की गई भूमि ग्राम बोरदा तहसील मांगरोल राजस्थान सरकार के खाते से मुक्त करके प्रार्थीगण के खाते में दर्ज किऐ जाने के आदेश प्रदान किऐं।

राजस्थान सरकार तहसीलदार मांगरोल ने अपना जवाब प्रार्थना पत्र भी पेश किया है, और मौका रिपोर्ट जवाबी भी पेश की गई है, मौका रिपोर्ट के अनुसार खसरा नंम्बर 163/749 रकबा 0.80 है0 राधेश्याम पुत्र बंशीलाल जाति चमार के गौर खातेदारी में दर्ज है, और शेष रकबा खसरा नं0 163/797 रकबा 1.29 है0 ग्राम बोरदा सिवायचक खाता दर्ज हो रही है।

इसी प्रकार खसरा नम्बर 407/748 रकबा 0.80 है0 रामगोपाल, रूपचंद, सोहनलाल पुत्र चतुर्भुज, रामजानकी बाई बेवा चतुर्भुज विमला बाई, मंजू बाई पुत्रियां चतुर्भुज के खाते दर्ज होकर मौक पर खेती कर रही है तथा शेष रकबा 407/821 रकबा 0.42 है0 सिवायचक राजस्थान सरकार के खाते दर्ज है। खसरा नं0 618 रकबा 0.56 है0, खसरा नं0 338/735 रकबा 0.38 है0 सिवायचक आराजी राजस्थान सरकार के खाते दर्ज है, जिसे प्रार्थी सूरजमल ही काश्त कर रहा है।

उपरोक्त मौका रिपोर्ट हल्का पटवारी की रिपोर्ट पर तहसीलदार मांगरोल ने इस न्यायालय को अपने जवाब के साथ प्रेषित किया है।

इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 05.02.2018 के अनुसार सीलींग में अधिग्रहण की गई आराजी मुक्त करने प्रार्थीगण के खाते में पुनः दर्ज किए जाने के आदेश दिऐ जा चुके है। इसलिए निर्णय की पालना में मुक्त की गई आराजी पर जो व्यक्ति काबिज काश्त है, उनका आवंटन खारिज किया जाकर आराजी से बेदखल करके आराजी का कब्जा प्रार्थीगण को दिया जाना न्यायसंगत होगा। तथा जो आराजी सीलींग में अधिग्रहण करने के पश्चात राजस्थान सरकार सिवायचक दर्ज है उसे राजस्थान सरकार के खाते से खारिज किया जाकर प्रार्थीगण के खाते में दर्ज किया जाना है।

उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 144 सी0पी0सी0 स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि खाता संख्या नया 215 ग्राम बोरदा तह0 मांगरोल में दर्ज आराजी खसरा नं0 163/749 रकबा 0.80 है0, खातेदार राधेश्याम पुत्र बंशीलाल चमार के खाते से खारिज की जाकर, तथा खसरा नं0 407/748 रकबा 0.80 है0 जो कि खाता संख्या 145 ग्राम बोरदा में खातेदार रामगोपाल, रूपचंद, सोहनलाल पुत्रान चतुर्भुज रामजानकी बाई बेवा चतुर्भुज, बिमला बाई, मंजू बाई पुत्रियां चतुर्भुज मीणा के खाते से खारिज की जाकर पुनः प्रार्थीगण के खाते में दर्ज किऐ जाने के आदेश दिऐ जाते है, तथा काबिज काश्तकारों को बेदखल करने के ही आदेश दिऐ जाते है।

राजस्थान सरकार के खाते में दर्ज सिवायचक आराजी खसरा नं0 163/797 रकबा 1.29 है0, खसरा नं0 407/821 रकबा 0.42 है0, खसरा नं0 618 रकबा 0.56 है0, खसरा नं0 338/735 रकबा 0.38 है0 ग्राम

तहसील मांगरोल को राजस्थान सरकार के खाते से खारिज करके पुनः प्रार्थीगण के खाते में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है।

मुताबिक निर्णय पालना हेतु तहसीलदार मांगरोल को निर्णय की प्रति के साथ तहरीर प्रेषित की जावें व पालना होने पर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय को प्रेषित की जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर शुमार से कम होकर दाखिल दफ्तर होवे।

निर्णय आज दिनांक 27.11.2018 को सरेइजलास मजमेंआम में स्